

3/यो0-27/2017(खण्ड)  
बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2018-19) //

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01-03-2019

विषय:-

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) हेतु सामान्य घटक में 400.00 लाख (चार करोड) तथा विशेष घटक हेतु 100.00 लाख (एक करोड) यानी कुल 500.00 लाख (पांच करोड) तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) अन्तर्गत राज्यांश मद में रू0 1150.00 लाख (ग्यारह करोड पचास लाख) अर्थात कुल 1650.00 लाख (सोलह करोड पचास लाख) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5722 दिनांक-27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र के सभी योजनाओं के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने तथा समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र-योजना कियान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 02 दिनांक 18.04.2018 द्वारा इस छत्र योजना अन्तर्गत सम्बल योजना हेतु 300.00 लाख रू0 (तीन करोड रू0) तथा प्रथम अनुपूरक से विभागीय पत्रांक 20 दिनांक 24.08.2018 द्वारा सीपडा योजना के लिए 1850.29 लाख (अठारह करोड पचास लाख उन्तीस हजार) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) हेतु सामान्य घटक में 400.00 लाख (चार करोड) तथा विशेष घटक हेतु 100.00 लाख (एक करोड) यानी कुल 500.00 (पांच करोड) तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) अन्तर्गत राज्यांश मद में रू0 1150.00 लाख (ग्यारह करोड पचास लाख) अर्थात कुल 1650.00 लाख (सोलह करोड पचास लाख) मात्र अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	मूल बजट उपबन्ध
राज्य योजना की राशि				
1	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) सामान्य घटक	51-2235021010119	0119.3106	400.00
2	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना (सम्बल) विशेष घटक	51-2235027890111	0111.3106	100.00
कुल (पांच करोड)				500.00
राज्यांश की राशि				
3	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा)	51-2235021010323	0323.2701	1150.00
कुल (ग्यारह करोड पचास लाख)				1150.00
कुल योग 1+2+3 (सोलह करोड पचास लाख) मात्र				1650.00

2. मांग संख्या-51 की स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. मांग संख्या-51 की स्वीकृत राशि के विरुद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018, पत्रांक 257/वि0 दिनांक 26.02.2019 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-27/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 18/टि0 पर दिनांक 28.02.2019 को इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा तथा इस राशि व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

6. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(विजय रजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

1.01-03-2019/दिनांक-

जापांक- 3/यो0-27/2017(खंड) 11

**प्रतिलिपि** -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-27/2017(खंड) 11

1.01-03-2019/दिनांक-

**प्रतिलिपि** -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-27/2017(खंड) 11

1.01-03-2019/दिनांक-

**प्रतिलिपि** - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि निर्गत स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (मु0)